# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/352

1. सीताराम पुत्र श्री लोडकी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राधेश्याम पुत्र श्री लोडकी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. धनपाल पुत्र श्री लोडकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. गोपाल उर्फ रामगोपाल आत्मज श्री बलदेव जी ।
   1/1. राधेश्याम पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल ।
2. रामेश्वर आत्मज श्री स्व0 श्री रामरतन जी ।
3. कन्हैया लाल आत्मज घांसी लाल जाति मीणा ।
4. रामलाल पुत्र घांसीलाल जाति मीणा ।
5. बनवारी लाल पुत्र घांसीलाल जाति मीणा ।
6. शंकर आत्मज श्री नन्दा जी नाबालिग जरिये वली माता शांतिबाई ।
7. भगवान आत्मज नन्दा जी नाबालिग जरिये वली माता शांतिबाई निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
9. भैरूलाल आत्मज मोहनलाल जाति मीणा निवासी हस्तीनापुर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांक: 28.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सीमल्या तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 759 की 1.35 हैक्टर आराजी स्थित है । बन्दोबस्त से पूर्व इस आराजी के खसरा नम्बर 440 थे तथा यह आराजी नन्दा पुत्र रामा, रामरतन, कन्हैयालाल, बनवारी लाल पिसरान घांसी भूली बेवा घांसी, गोपाल पुत्र बलदेव, गंगा बेटी बलदेव व भूली बेवा बलदेव की सहखातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमि का सहखातेदारान द्वारा विभाजन कर रखा था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 440 की भूमि रामगोपाल जी व रामरतन के हिस्से व कब्जे में थी । उक्त भूमि रामगोपाल व प्रतिवादी क्रम 2 के पिता रामरतन ने वादीगण के पिता लोडकीलाल को दिनांक 24.05.1977 को बेचान कर दी तथा उसी दिन कब्जा भी संभला दिया था । तब से ही वादीगण के पिता उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस वादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता का वर्ष 1977 से और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त होने से प्रतिवादीगण के उक्त भूमि से समस्त अधिकार समाप्त हो गये हैं और वादीगण उक्त भूमि के कानूनन खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 759 रकबा 1.35 हैक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थयी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण, रहन, बेचान नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों की सहमति लिये बिना उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही पक्षकारों की बिना सहमति के उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों की सहमति लिये तथा बिना राजीनामा के वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट क्रम 2 ने प्रस्तुत वाद में सहमति नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना पक्षकारान को सुनवाई एवं

साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित कर दिया । पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को विधिवत रूप से पक्षकारान की सहमति के आधार पर लोक अदालत में रखा था और लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी मांगी है जो कानूनन नहीं दी जा सकती । अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भी खातेदारी नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डीएनजे (राज0) 2016 (2) पेज 473, आरआरटी 2011 (2) पेज 721, आरआरटी 2009 (1) पेज 638 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 09.03.2016 के अनुसार उक्त पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी क्रम 9 में लम्बित थी । जिसे लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में वादी क्रम 1 सीताराम व वादी क्रम 3 धनपाल एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 व 9 के मुख्तारआम निशांत सिंह के उपस्थित होना अंकित किया है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर विधिवत राजीनामा पेश करें अन्यथा इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी क्रम 09 को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्त करने के 06 माह के भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.12.18

**(भागवंती जेठवानी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**